

**SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF----- J.M.F.C., Gohad, DIST-. Bhind (M.P)**

Case No. 18/17 मनी

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant..... श्री ५० गोहद पोस्ट

..... महेन्द्र सिंह

..... महेश सिंह

..... महेन्द्र सिंह

Name , parentage, caste and address of accused

महेन्द्र सिंह ५० डनवल सिंह ३५-३५

गोहद पोस्ट १०१७ गोहद-मोहद

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक ०६.०१.१७ मुकाम

गोहद पोस्ट रोड किनारे बैचरचीव

में आम रोड पर ढेला लगाकर करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे

जो कि धारा ३४-३ पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

स्वीकार

महेन्द्र सिंह

महेन्द्र सिंह

महेश सिंह  
महेश सिंह

महेन्द्र सिंह

महेश सिंह  
महेश सिंह

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.




// निर्णय //

(आज दिनांक 25-2-20 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(3) पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।
03. अभियुक्त को धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत रुपये 50/- शब्दों में पचास रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 05 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
गायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
कोटा जिला सिविल कोर्ट